दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 18 फरवरी, 2022

रि.या. (फौ.)1388/2021 और फौ.वि.आ. सं. 11699/2021

जसविंदर कौर .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अर्जुन दीवान, अधिवक्ता सह
श्री शहरयार खान, अधिवक्ता |

बनाम

भारत संघ के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के सचिव एवं अन्य के माध्यम से ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री ध्रुव पांडे, प्रतिवादी सं. 1 से 3 के अधिवक्ता |
श्री सतीश कुमार, प्रत्यर्थी संख्या 6/सीमा शुल्क के वरिष्ठ सरकारी स्थायी अधिवक्ता |

माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ मृदुल
माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप जयराम भंभानी

<u>निर्णय</u>

न्या., अनूप जयराम भंभानी

याचिकाकर्ता जसविंदर कौर ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी.आर.पी.सी.) की धारा 482 के साथ सह-पठित **भारतीय संविधान के अनुच्छेद** 226 के तहत **वर्तमान रिट याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे हरमीत सिंह को** पेश करने के लिए *हेवियस कार्पस* के अनुसार **निर्देश देने की मांग की है,** जिसे कि कथित तौर से **प्रत्यर्थीगण द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है।** पक्षकार-प्रत्यर्थी **की सारणी** में संशोधन के बाद, कार्यवाही में **प्रत्यर्थीगण** भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (**केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो**) के सचिव, (सी.ओ.एफ.ई.पी.ओ.एस.ए.) के संयुक्त सचिव और टर्मिनल-3, आई.जी.आई. **हवाई अड्डा**, नई दिल्ली के **सीमा शुल्क आयुक्त हैं**, जिन्हें एतद् पश्चात सामूहिक रूप से 'मंत्रालय' या 'प्रत्यर्थीगण' कहा जाएगा।

2. **याचिकाकर्ता ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम** अधिनियम, 1974 (सी.ओ.एफ.ई.पी.ओ.एस.ए. अधिनियम) की धारा 3 (1) के तहत जारी दिनांक 05.06.2020 के आदेश सं. पीडी-12002/05/2020-सी.ओ.एफ.ई.पी.ओ.एस.ए. के हिरासत आदेश को सी.ओ.एफ.ई.पी.ओ.एस.ए. (**"आक्षेपित हिरासत आदेश"**) के **संयुक्त सचिव द्वारा रद्द करने का अनुरोध किया है जिसके तहत याचिकाकर्ता का बेटा तिहाड़ जेल, नई दिल्ली** के अधीक्षक **की निवारक हिरासत में है, जिसकी हिरासत आदेश की** पुष्टि दिनांक

11.08.2021 के **वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के आदेश द्वारा भी की जाती है।**

3. अभिलेख के अनुसार, **याचिकाकर्ता के बेटे के खिलाफ मंत्रालय का मामला यह है:**

(i) **इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई हवाई अड्डा)** पर ग्रीन चैनल (शिफ्ट-डी) के सहायक आयुक्त को 01/02 **फरवरी**, 2019 को **विभिन्न उड़ानों में छह यात्रियों द्वारा वाणिज्यिक** मात्रा में ड्रोन, सामान, **सिगरेट और कुछ अन्य वस्तुओं की तस्करी के बारे में निश्चित खुफिया** जानकारी प्राप्त हुई थी। **इस खुफिया जानकारी के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने राजस्व खुफिया निदेशालय** (डीआरआई) **के अधिकारियों के साथ आईजीआई हवाई अड्डे के आगमन हॉल के निकास** द्वार संख्या 5 **पर याचिकाकर्ता के साथ-साथ आठ यात्रियों को रोकने के लिए संपर्क कियाऔर** उनके सामान **की तलाशी पर गगनजोत सिंह और गुरप्रीत सिंह नामक दो व्यक्तियों के सामान में** कुछ आपत्तिजनक वस्तुएँ पाई गई।

(ii) इसके बाद 01.02.2019 और 02.02.2019 **की दरम्यानी रात को** लगभग 1 बजे कथित रूप से गगनजोत सिंह द्वारा **दी गई जानकारी** पर **याचिकाकर्ता के बेटे हरमीत सिंह जो कि दुबई से कुवैत एयरवेज**

की उड़ान सं. के यू 381 से आई.जी.आई. एयरपोर्ट पहुँचा था, को तीन अन्य व्यक्तिओं यानी कि सुमित वर्मा, सौरभ चोपड़ा एवं अमरजीत सिंह के साथ, प्रतिबंधित वस्तु और सामान ले जाने के लिए गिरफ्तार किया गया।

(iii) दिनांक 02.02.2019 को हरमीत सिंह को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (सीमा शुल्क अधिनियम) की धारा 102 के तहत नोटिस भेजा गया था। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत उसका बयान दर्ज किया था जो कि स्वरुप में स्वयं को दोषी बनाने वाला था। महत्वपूर्ण रूप से, प्रत्यर्थीगण का यह कहना है कि हरमीत सिंह का बयान अंग्रेजी भाषा में टाइप किया गया था और एक भाषांतरकार द्वारा उसे स्थानीय भाषा में समझाया गया था।

(iv) हिरासत में लिए जाने के आक्षेपित आदेश के अनुसार हरमीत सिंह के बैग की तलाशी लेने पर निम्नलिखित वस्तुएँ पाई गई :

i. बेनसन एंड हेजेज सिगरेट के 238 डंडे

ii. उड़ान संख्या केयू 381 (कुवैत से दिल्ली) के लिए सीट संख्या 2 एच के साथ दिनांक 01.02.2019 का बोर्डिंग पास

iii. 16.01.2019 को जारी किया गया भारतीय पासपोर्ट संख्या Z5317414

iv. ***वोडाफोन सिम सं. 8860253525 के साथ एक वीवो वाई 53 मोबाइल***

v. ***यूएई दिरहम 300/-***

vi. ***शिवास रीगल 12-वाईओ व्हिस्की की 02 बोतलें***

vii. ***पुराने और उपयोग की गई व्यक्तिगत चीज़ें***

(v) **मंत्रालय का कहना है कि हरमीत सिंह के साथ पकड़े गए अन्य व्यक्तियों से ड्रोन** *और कैमरा सहित कई* अन्य **वस्तुएँ** और सामान **बरामद किए गए थे और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा** 110 और 111 **के तहत जब्त किए गए सामान का कुल मूल्य लगभग** 1,09,74,500 रुपये **(एक करोड़ नौ लाख चौहत्तर हजार पांच सौ रुपये) है;**

(vi) **हरमीत सिंह को** दिनांक 03.02.2019 **को गिरफ्तार** किया गया, **जिसके बाद उसे अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ** दिनांक 04.02.2019 को **पटियाला हाउस कोर्ट के फ़ाज़िल** मेट्रोपोलिटन **मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश** किया गया|

(vii) **हरमीत सिंह ने** 4 फरवरी, 2019 को फ़ाज़िल **मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष जमानत, याचिका दायर की थी,** जिसे खारिज **कर दिया** गया था और उसे अन्य सह-**आरोपी व्यक्तियों के** साथ 05 **फरवरी, 2019 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तत्पश्चात् हरमीत सिंह की न्यायिक हिरासत** को समय-समय पर

बढ़ाया गया और अंतिम विस्तार फ़ाज़िल मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 02.04.2019 को जारी आदेश के अनुसार 06.04.2019 तक दिया गया|

(viii) इस बीच, दिनांक 05.02.2019 को हरमीत सिंह के साथ-साथ अन्य आरोपी व्यक्तियों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दिनांक 02.02.2019 को दर्ज अपने बयानों को वापस लेने की याचिका इस आधार पर दायर की थी कि वह दवाब और विबाध्यता के कारण दर्ज किए गए थे और इन बयानों को 11.02.2019 को वापस ले लिया गया था |

(ix) हरमीत सिंह ने दिनांक 14.02.2019 को पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की थी। दूसरी याचिका 01.02.2019 से 02.02.2019 के बीच की रात की एयरपोर्ट सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के लिए दिनांक 16.02.2019 को दायर की गई थी, जिसमें मामले की जाँच का हस्तांतरण सीबीआई को दिए गया था। दूसरी ज़मानत याचिका को दिनांक 20.02.2019 को खारिज कर दिया गया था एवं सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के आवेदन को दिनांक 16.02.2019 को खारिज कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने और मामले की जांच को वित्त मंत्री को हस्तांतरित करने की मांग करते हुए इसी

तरह की एक संस्तुति हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से वित्त मंत्री को दी गई थी;

(x) दिनांक 25 फरवरी, 2019 को सीमा शुल्क आयुक्त के कार्यालय ने संयुक्त सचिव (सीओएफईपीओएसए) के समक्ष हरमीत सिंह को हिरासत में लेने का (पहला) प्रस्ताव रखा था जिसमें कि उनके द्वारा एकत्र किए गए सबूतों का एक संक्षिप्त विवरण संलग्न किया गया था जिसके परिणामस्वरूप हरमीत सिंह को अंततः 05.06.2020 के आदेश के तहत 24.05.2021 को हिरासत में ले लिया गया था |

(xi) हरमीत सिंह द्वारा 27 फरवरी, 2019 को पटियाला हाउस कोर्ट के फ़ाज़िल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक अन्य जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे 19 मार्च, 2019 को खारिज कर दिया गया था |

(xii) फ़ाज़िल मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष 04.04.2019 को दायर की गई एक और जमानत याचिका पर हरमीत सिंह को 06.04.2019 पर वैधानिक जमानत पर रिहा किया गया क्योंकि अन्वेषण अधिकारी द.प्र.स. की धारा 167 (2) के तहत निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र/शिकायत दायर करने में विफल रहा था |

(xiii) दिनांक 22 अप्रैल, 2019 को हरमीत सिंह को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत अपना बयान दर्ज कराने और उसके सेलफोन का पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एयर कस्टम अधीक्षक के समक्ष पेश होने के लिए समन किया गया था। उसे दिनांक 31.01.2020 को फिर से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत फोरेंसिक जांच के दौरान उनके सेलफोन से बरामद किए गए कथित आपत्तिजनक डेटा मिलने पर समन किया गया |

(xiv) आक्षेपित हिरासत आदेश डिटेनिंग अथॉरिटी द्वारा 05.06.2020 को जारी किया गया |

(xv) दिनांक 10 जुलाई, 2020 को हरमीत सिंह ने वित्त मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव (सीओएफईपीओएसए) को और सीओएफईपीओएसए सलाहकार बोर्ड, दिल्ली उच्च न्यायालय के अध्यक्ष को निष्पादन पूर्व चरण पर, नजरबंदी आदेश को रद्द करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा जिसे मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.10.2020 को अस्वीकार कर दिया गया था |

(xvi) रि.या.(फौ.) सं. 1166/2020 *द्वारा* पूर्व-निष्पादन चरण में आक्षेपित हिरासत आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 16.02.2021 के निर्णय *द्वारा* खारिज कर दिया गया था। उस रिट याचिका को खारिज

किए जाने के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका को माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 19.04.2021 के आदेश *द्वारा* भी खारिज कर दिया गया था, जो एसएलपी (अप.) सं. 3108/2021 में दिया गया था;

(xvii) सीओएफईपीओएसए अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) के तहत हरमीत सिंह के खिलाफ दिनांक 07.08.2020 को कार्रवाई शुरू की गई थी और उसे आखिरकार दिनांक 24.05.2021 को हिरासत में ले लिया गया। यह आदेश *अंग्रेजी भाषा में* हिरासत के आधार के साथ *हरमीत सिंह* पर 24/25.05.2021 को जारी किया गया था |

(xviii) दिनांक 24 जून 2021 को हरमीत सिंह ने हिरासत आदेश की एक प्रति *हिंदी या पंजाबी भाषा में हिरासत* के आधार के साथ उपलब्ध *कराने* का लिखित अनुरोध किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह इसकी अंग्रेजी प्रतियाँ समझने में असमर्थ हैं। यह अनुरोध तिहाड़ जेल के अधीक्षक द्वारा 26 जून, 2021 को भारत सरकार के उप-सचिव को अग्रेषित किया गया था। उक्त पत्र को संस्तुति माना गया था और इसे मंत्रालय *द्वारा* अनुच्छेद अनुसार टिपण्णियों के साथ संयुक्त निबंधक (सीओएफईपीओएसए), दिल्ली उच्च न्यायालय को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है, जिसकी बैठक 30.07.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की गई

थी और इसमें हरमीत सिंह भी अपने *कानूनी* प्रतिनिधि के साथ उपस्थित था। सलाहकार बोर्ड के दिनांक 12.08.2021 के ज्ञापन में हरमीत सिंह के अनुरोध/प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया था, सलाहकार बोर्ड ने पाया था कि हरमीत सिंह को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त आधार है|

(xix) दिनांक 05.06.2020 के आक्षेपित हिरासत आदेश की पुष्टि मंत्रालय के 11.08.2021 के आदेश *द्वारा* की गई थी।

<u>निरोध आदेश के लिए चुनौती के आधार</u>

4. वर्तमान कार्यवाही में, आक्षेपित निरोध आदेश को मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई है, जिनके विवरण पर इस निर्णय में बाद में चर्चा की गई हैः

(i) यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(5) का उल्लंघन करता है एवं तर्क दिया गया है कि क़ानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन ना करने के कारण यह आदेश निष्प्रभावी हो गया है;

(ii) यह कि आक्षेपित हिरासत आदेश को निष्प्रभावी कर दिया गया है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अनुसार हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने जिस आधार पर बंदी को "हिरासत में लिया है

उसे सूचित" करने की आवश्यकता है, **इसकी व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह की गई है कि ऐसी सूचना हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ज्ञात भाषा में होनी चाहिए,** जो इस **मामले में नहीं की गई थी। इस कारण बंदी अपनी हिरासत के खिलाफ प्रभावी याचिका देने में असमर्थ रहा है,** जिसका अधिकार उसके पास अनुच्छेद 22(5) के तहत है |

(iii) **आक्षेपित निरोध आदेश में इस्तेमाल की गई भाषा** "*.....अति तकनीकी भाषा है जिसे याचिकाकर्ता का बेटा समझ नहीं पा रहा है.....*";

(iv) **हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने केवल कक्षा 10 तक पढ़ाई की है,** जिसके बाद उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया था। इसके अलावा, बंदी ने कक्षा 5 तक हिंदी भाषा में पढ़ाई की है; और उसके अगले **स्कूल में भी बाद की कक्षाओं में उसकी शिक्षा का माध्यम हिंदी ही रहा। इसलिए बंदी को मुश्किल से अंग्रेजी समझ में आती है और** वह 717 पन्नों के आदेश का मतलब नहीं समझ पा रहा है;

(v) **हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि सीमा शुल्क अधिनियम के धारा** 108 के तहत 22.04.2019 और 31.01.2020 को दिए गए सभी

बयान हिंदी में थे।

<u>वकील की प्रस्तुतियां</u>

5. **आक्षेपित निरोध आदेश की संचार भाषा के संबंध में आपत्ति** उठाते हुए, श्री अर्जुन दीवान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने, इस न्यायालय का **ध्यान निम्नलिखित पहलुओं और परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया है:**

(i) जब भी हरमीत सिंह को विस्तृत बयान दर्ज करना था, यह पूर्ण रूप से हिंदी में दर्ज किया गया था। इस संबंध में, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत हरमीत सिंह द्वारा दिनांक 22.04.2019 और 31.01.2020 **को दर्ज किए गए बयानों की ओर ध्यान आकर्षित किया** गया है, जो पूरी तरह से हिंदी में दिए गए हैं। यह अधिवक्ता के अनुसार इसलिए है क्योंकि हरमीत सिंह केवल हिंदी और पंजाबी में निपुण हैं, हालांकि, वह कुछ शब्द या छोटे वाक्य अंग्रेजी में लिखने में समर्थ हैं या वह अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर सकता है;

(ii) केवल यह तथ्य कि हरमीत सिंह के द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 102 के अंतर्गत उसे 02.02.2019 को दिए गए नोटिस पर अंग्रेजी भाषा में *दर्ज़ किया गया था कि "मुझे **किसी भी सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा अपनी या अपने सामान की तलाशी** कराने में कोई आपत्ति नहीं है"* एवं इस पर अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर करना यह साबित नहीं करता कि हरमीत सिंह को किसी भी प्रकार से अंग्रेजी का

ज्ञान था |

(iii) हालांकि हरमीत सिंह ने 2 फरवरी, 2019 को *पंचनामा* पर, 2 फरवरी, 2019 की फ़र्द मकबूजगी पर और 2 फरवरी, 2019 को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज कराए गए अपने बयान पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए थे, इसका यह मतलब नहीं है कि वह अंग्रेजी को किसी भी स्तर की प्रवीणता के साथ समझता है। उल्लेखनीय है कि सीमा *शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज 02 फरवरी, 2019 के* बयान में हरमीत सिंह ने विशेष रूप से लिखा था कि "*मैं हिंदी/अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं को पढ़, लिख, समझ और बोल सकता हूं*।" इससे यह स्पष्ट है कि जिस प्रमुख भाषा से हरमीत सिंह परिचित हैं, वह अंग्रेजी नहीं है |

(iv) 03 फरवरी, 2019 को उसके *जमातलाशी* से पता चलता है कि 5 सितंबर, 2019 को हरमीत सिंह ने पावती अपनी लिखाई में हिंदी भाषा में दी थी और केवल उस पर अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे। 12.06.2019 के *पंचनामा* की प्रति की प्राप्ति के सम्बन्ध में भी हरमीत सिंह ने उसकी पावती हिंदी में लिखी थी और उस पर अंग्रेजी में केवल अपने हस्ताक्षर किए थे |

(v) केवल इसलिए कि हरमीत सिंह ने अपना प्रत्याहार बयान अंग्रेजी में लिखा और उस पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए हैं, यह नहीं दर्शाता है

कि वह अंग्रेजी को इतनी अच्छी तरह से समझता है कि वह नजरबंदी के आधारों के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत याचिका करने में समर्थ है। प्रत्याहार बयान गुरप्रीत सिंह द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया था और हरमीत सिंह के हस्ताक्षर करने से पहले उसे स्थानीय भाषा में समझाया गया था |

(vi) विशेषतः, अपने 24 जून 2021 के पत्राचार में हरमीत सिंह ने विशेष रूप से कहा कि उन्होंने दस्तावेजों के हिंदी या पंजाबी अनुवाद के लिए अनुरोध किया था और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें इस प्रकार का अनुवाद दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं किया गया और बाद में उन्हें पता चला कि वह इस संबंध में लिखित अनुरोध कर सकते हैं। निवेदन किया जाता है कि क्योंकि उस समय हरमीत सिंह के पास अधिवक्ता पाने का अधिकार नहीं है, इसलिए उसकी अपने बचाव करने की योग्यता पूर्ण रूप से अपने हिरासत में लिए जाने के आधारों को ठीक से समझने पर निर्भर करती थी पर ऐसा करने में वह असमर्थ था क्योंकि उसे यह आधार ऐसी भाषा में प्रदान नहीं किए गए थे जिसे वह समझ सके।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 3 के फ़ाजिल के.स.स्था.अधि. श्री अमित महाजन, प्रत्यर्थी सं. 6 के फ़ाजिल वरिष्ठ सरकारी स्थाई अधिवक्ता श्री सतीश कुमार ने केवल एक पहलू पर जोर दिया है, कि हरमीत सिंह अपनी

हिरासत के आधारों को समझने के लिए अंग्रेजी भाषा में *पर्याप्त रूप से निपुण* है। अधिवक्ता के अनुसार अकाली बाबा फूला सिंह खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा 29.08.1998 को जारी किए उसके स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र से स्पष्ट है कि हरमीत सिंह ने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की है (हालांकि वह उस कक्षा में फेल हो गया था) और क्योंकि वह स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त था, उसने अंग्रेजी का अध्ययन एक भाषा के रूप में किया होगा, भले ही उसके शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी न रहा हो। इसके अलावा, यह भी निवेदन किया गया है कि जिन परिस्थितियों में हरमीत सिंह को हिरासत में लिया गया है, उनसे यह स्पष्ट है कि वह अक्सर विदेश यात्रा करता था, जिसका अर्थ है कि उसे अंग्रेजी भाषा का व्यावहारिक स्तर से अधिक ज्ञान था अन्यथा वह विदेश यात्रा नहीं कर सकता था। सारांश में, निवेदन किया गया है कि अंग्रेजी भाषा का केवल *व्यावहारिक ज्ञान* आवश्यक है, जो सभी पूर्ववर्ती कारकों से स्पष्ट है; और विशेषतः इस तथ्य से कि हरमीत सिंह अंग्रेजी में लिख सकता है और हस्ताक्षर भी कर सकता है।

पक्षों द्वारा आधार बनाये गए न्यायिक मिसालें

7. अपने पूर्व निर्णय के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित न्यायिक उदाहरणों को आधार बनाया हैः

(i) ***श्री लल्लू भाई जोगीभाई पटेल बनाम भारत संघ और अन्य*** [1] : इस प्रस्ताव के लिए कि निरोध के आधारों को बताने का उद्देश्य उस भाषा में केवल मौखिक स्पष्टीकरण से पूरा नहीं होता है जिसे कि बंदी समझता है; बंदी को उस भाषा में लिखित अनुवाद भी दिया जाना चाहिए |

(ii) ***पौवानामल बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य*** [2] : इस प्रस्ताव के लिए कि निरोध आदेश की उस भाषा में आपूर्ति, जिसे बंदी समझता है, बंदी के प्रभावी याचिका बनाने के अधिकार को हानि पहुँचाता है |

(iii) ***चाजू राम बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य***[3] : इस प्रस्ताव के लिए कि किसी विदेशी भाषा में निरोध का आधार बंदियों को सौंपने से बंदियों के प्रभावी याचिका बनाने के अधिकार की हानि होती है |

(iv) ***हरिबंधु दास बनाम जिला मजिस्ट्रेट, कटक और अन्य***[4] : इस प्रस्ताव के लिए कि यदि किसी निरोध के आदेश और आधार को बंदी को अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है, जिस भाषा को बंदी समझता नहीं है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 22(5) में दिए गए अधिकार का उल्लंघन होगा |

(v) ***हरिकिशन बनाम महाराष्ट्र राज्य***[5] : इस बात जोर देना कि 'सूचना' शब्द का अर्थ बंदी को वह सभी आधार समझाना है जिनको ध्यान में

रखकर पर निरोध आदेश पारित किया गया है |

8. प्रत्यर्थीगण **ने अपनी ओर से निम्नलिखित न्यायिक** उदाहरणों को आधार बनाया हैः

(i) ***प्रकाश चंद्र मेहता बनाम आयुक्त और सचिव, केरल सरकार एवं अन्य***[6] **:** इस प्रस्ताव के लिए कि निरोध के आधारों को पर्याप्त रूप से सूचित किया जाना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है |

(ii) ***कुबिक दारुस्ज बनाम भारत संघ और अन्य***[7] **:** इस बात पर जोर देना कि बंदी को अंग्रेजी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान, निरोध के आधारों को समझकर याचिका बनाने के लिए पर्याप्त होगा |

(iii) ***सुमिता डे भट्टाचार्य बनाम भारत संघ एवं अन्य***[8] **:** इस प्रस्ताव के लिए कि यदि बंदी अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर और अनुमोदन लिख सकता है तो उसे उस भाषा का व्यावहारिक ज्ञान होगा।

चर्चा

9. हमारे विचार में, वर्तमान मामले के गुण-दोष पर चर्चा उस संवैधानिक प्रावधान से आरंभ होनी चाहिए जिसके द्वारा निवारक निरोध के आधार को

सूचित करने की अपेक्षा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 22 इस प्रकार हैः

> "22 ***कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण- -***
> *(1) किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में बंद नहीं किया जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने और उसके द्वारा अपना बचाव कराने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।*
>
> *(2) प्रत्येक व्यक्ति जो कि गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के समय को छोड़कर गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि के बाद हिरासत में नहीं रखा जाएगा।*
>
> *(3) **खंड (1) और (2) की कोई बात निम्न पर लागू नहीं होगी***
>
> *(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति पर, जो कुछ समय से एक विदेशी शत्रु है, या*
>
> ***(ख) किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसे निवारक निरोध को लागू करने वाले किसी कानून के अधीन गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है।***
>
> *(4) निवारक निरोध को लागू करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक अवधि के लिए हिरासत में रखने के लिए तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक -*
>
> *(क) ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने, जो*

किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व यह रिपोर्ट करते हैं कि उनकी राय में ऐसे हिरासत की पर्याप्त वजह है जबतक यह सुनिश्चित किया जाए कि:

धारा (7) की उपधारा (ख) के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की अधिकतम अवधि के अतिरिक्त इस उपधारा का कोई भी बिंदु किसी भी व्यक्ति को निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा या

(ख) ऐसे व्यक्ति को धारा (7) के उपधारा (क) और (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाये गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार निरुद्ध किया जाता है।

(5) जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को लागू करने वाले किसी कानून के अधीन हिरासत में लिया जाता है, आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र ऐसे व्यक्ति को उन आधारों के बारे में सूचित करेंगे जिनके आधार पर आदेश किया गया है और उसे आदेश के विरुद्ध याचिका करने का अवसर शीघ्र प्रदान करेंगे

(6) खंड (5) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि उस खंड में निर्दिष्ट ऐसा कोई आदेश करने वाले प्राधिकारी को ऐसे तथ्यों का प्रकटन करना होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोक हित के विरुद्ध समझता है।

(7) संसद क़ानून द्वारा निम्न के विहित कर सकेगी -

(क) ऐसी परिस्थितियाँ, श्रेणी, या मुकदमों की श्रेणियाँ जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को तीन माह से अधिक अवधि के लिए निवारक निरोध को लागू करने वाले किसी भी कानून के अधीन सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए

बिना खंड (4) के उप-खंड (क) के अनुसार हिरासत में लिया जाये;

(ख) वह अधिकतम अवधि जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को लागू करने वाले किसी भी कानून के अधीन किसी श्रेणी या या मुकदमों की श्रेणियाँ में निरुद्ध किया जा सकता है; और

(ग) खंड (4) के उप-खंड (क) के अधीन किसी जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया."

(जोर दिया गया)

10. वर्तमान मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थीगण ने अपनी दलीलों को विशेषतः अनुच्छेद 22(5) पर आधारित किया है अर्थात् हिरासत में लिए *गए* व्यक्ति को निरोध के आधार के बारे में सूचित करने वाले संवैधानिक जनादेश पर, जो की उसे निवारक निरोध आदेश के विरुद्ध याचिका दायर करने का मौका दे। हालांकि, याचिकाकर्ता ने निरोध के आधारों को सूचित करने वाले कानून पर कई पूर्व न्यायिक मिसालें पेश की हैं, हमारे विचार में, निम्नलिखित निर्णयों में कानूनी स्थिति सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट की गई है:

10.1 हरिकिशन *(पूर्वोक्त)* मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि क्योंकि उच्च न्यायालय *इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा* था कि निरुद्ध व्यक्ति को पर्याप्त अंग्रेजी

आती है, **उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की थी** कि **महाराष्ट्र राज्य की राजभाषा केवल अंग्रेजी होने के कारण, निरोध के आधारों को** अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराना अनुच्छेद 22(5) **के अधिदेश का पर्याप्त अनुपालन था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तदनुसार** यह माना था कि:

> "7..... कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, आदेश की तामील, निरोध के आधार का अंग्रेजी भाषा में दिए जाना एवं मौखिक अनुवाद या उसे उपलब्ध कराने वाले किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी व्याख्या कानून की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है। जैसा कि *इस न्यायालय द्वारा बम्बई राज्य बनाम आत्मा राम श्रीधर वैद्य मामले में अनुच्छेद 22 की धारा (5) के अंतर्गत बंदी के निरोध का आधार यथाशीघ्र बंदी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और आदेश के विरुद्ध याचिका करने का अवसर भी उसे शीघ्र दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का अवसर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए केवल यह* ***पर्याप्त नहीं है कि उसे भौतिक रूप से वह साधन प्रदान किए जाएं जिससे वह याचिका तैयार कर*** *सकता है।* ***अपनी याचिका को प्रभावी रूप से बनाने के लिए बंदी को आदेश के आधारों की जानकारी होनी चाहिए,*** *जिनमें की प्रशासन द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए हानिकारक आरोपों का स्वरूप शामिल है। अतः, इस संदर्भ में* ***सूचना का अर्थ बंदी को उन सभी आधारों का पर्याप्त ज्ञान प्रदान करना होना चाहिए जिस पर निरोध का आदेश आधारित है।***
>
> *इस मामले में ऐसे कई आधार हैं और अपीलकर्ता द्वारा*

स्वयं विभिन्न अवसरों और अलग-अलग मौकों पर दिए गए वक्तव्यों पर आधारित हैं। इसलिए, ***स्वाभाविक रूप से, पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी मौखिक अनुवाद या स्पष्टीकरण निरोध के आधारों को सूचित करने के समान नहीं होगा।*** *इस संदर्भ में, सूचना का अर्थ उन तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में प्रभावी जानकारी प्राप्त कराना होगा, जिन पर निरोध का आदेश आधारित है।"*

(जोर दिया गया)

10.2 हरिकिशन (उपर्युक्त) और अनुच्छेद 22(5) के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने लल्लुभाई (उपर्युक्त) में 'सूचना' शब्द के अर्थ को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है:

"20. *यह स्वीकार किया जाता है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता है। हिरासत में लिए जाने के आधार अंग्रेजी में तैयार किए गए हैं। यह सत्य है कि पुलिस इंस्पेक्टर श्री सी. एल. अंटाली, जिन्होंने बंदी को निरोध करने का आधार प्रस्तुत किया था, ने एक शपथ पत्र दायर किया था जिसमें कहा गया है कि उन्होंने बंदी को हिरासत में लिए जाने का आधार गुजराती में पूरी तरह से समझाया था।* ***किंतु, यह संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अधिदेश का पर्याप्त अनुपालन नहीं है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि निरोध के आधारों की सूचना बंदी को दी जानी चाहिए। "सूचना" एक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका अर्थ यह है कि आधारों को गठित करने वाले मूल तथ्यों का पर्याप्त ज्ञान प्रभावी और पूर्ण तरह से बंदी को उस भाषा में लिखित रूप में प्रदान किया जाना चाहिए जो वह समझता है।"*** *बंदी को "आधार" से अवगत कराने का पूरा उद्देश्य उसे उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी याचिका बनाने में सक्षम बनाना है।* ***यदि "आधारों" को केवल मौखिक रूप से को समझाया जाता है***

> ***और जिस भाषा को वह समझता है उसमें लिखित में बंदी पास कुछ भी नहीं बचता है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है और अनुच्छेद 22(5) में संवैधानिक आदेश का उल्लंघन होता है। यदि इस मुद्दे पर किसी आधार की आवश्यकता है, हालांकि यह अनुच्छेद 22(5) से स्पष्ट है, तो हरिकिशन बनाम महाराष्ट्र सरकार[13] और हदीबंधु दास बनाम जिला मजिस्ट्रेट[9] मामले को आधार बनाया जा सकता है"***
>
> (जोर दिया गया)

10.3 वास्तव में, *पोवानामल* (उपर्युक्त) निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे दस्तावेजों के बीच विभेद किया जिस पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी निरोध के आधार के रूप *में भरोसा* करें और उन दस्तावेजों में जो कि इन आधारों के *लिए मात्र* उदाहरण के समान पाता है। बंदी के विरुद्ध पक्षपात के आयाम की व्याख्या करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:

> "9. हालांकि, *इस न्यायालय ने ऐसे* दस्तावेजों के बीच विभेद किया है जिन पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी निरोध के आधार के रूप में भरोसा करें और जिनको इन आधारों के लिए मात्र उदाहरण के समान पाया जाता है। हालांकि, उन दस्तावेजों की प्रति की आपूर्ति जिनको निरोध का आधार बनाया गया है ***निरंतर निरोध के लिए घातक माना गया है और इस कारण बंदी को अपने विरुद्ध पक्षपात साबित करने की आवश्यकता नहीं है।*** *वह इसलिए है क्योंकि ऐसे दस्तावेज की* ***आपूर्ति न करना निरोध के*** *आधार की सूचना न देने एवं हिरासत के आदेश के विरुद्ध एक प्रभावी याचिका बनाने के अवसर के खंडन के*

समान होगा। पर यह उस मामले में नहीं माना जाएगा जहां वह दस्तावेज हिरासत के आदेश या उसके आधार में मात्र एक संदर्भ के रूप में लिया गया है। निरोध के आधारों को बताने वाले दस्तावेजों की प्रति की आपूर्ति न करना निरंतर निरोध के लिए प्रतिकूल मानी गई है, और ***ऐसे में बंदी को अपने विरुद्ध पक्षपात साबित करने की आवश्यकता नहीं है।*** *ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रकार के दस्तावेजों की आपूर्ति निरोध के आधारों के बारे में सूचना प्राप्त करने एवं निरोध के आदेश के विरोध याचिका दायर करने के अधिकार से वंचित किया जाने समान माना जाएगा। पर ऐसा* ***वहां नहीं होगा जहां वह दस्तावेज निरोध के आदेश में या निरोध के आधारों में मात्र एक संदर्भ के रूप में लिया गया है। ऐसी स्थिति में बंदी के द्वारा की गई दस्तावेजों की आपूर्ति न करने की शिकायत उसके द्वारा एक प्रभावी याचिका बनाने में पक्षपात के आयाम के साथ प्रस्तुत की जाएगी। यदि दस्तावेज किसी अन्य भाषा में है तो जो नियम उस दस्तावेज में लागू होते है वही उसकी अनुवादित प्रति प्रदान करने के सन्दर्भ में लागू होंगे।***

(जोर दिया गया)

10.4 इस मामले में प्रस्तुतियों के दौरान जो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, वह यह है कि यदि कोई बंदी अनपढ़ हो तो ऐसे में क्या कानूनी स्थिति होगी। प्रसंगवश, इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी *चाजूराम* (उपरोक्त) में भी विचार किया गया है, जिसमें कानून की स्थिति को निम्नानुसार समझाया गया हैः

> "9.....*बंदी एक **अनपढ़ व्यक्ति** है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम ऐसे बंदी की बात करे जो कि अंग्रेजी भाषा या कोई भी भाषा को पढ़ या समझ नहीं सकता, उसे निरोध के आधार अति शीघ्र **उस भाषा में समझाये जाए जिसे वह समझता हो** ताकि वह याचिका बनाने के अपने वैधानिक अधिकार के इस्तेमाल कर सके। उसे अंग्रेजी में लिखा हुआ दस्तावेज देकर उसकी पावती के तौर पर दस्तावेज पर उसके अंगूठे के निशान लेना उस कानून की अपेक्षाओ का अनुपालन नहीं करता जो कि बंदी को याचिका बनाने का एक बहुमूल्य अधिकार देते है और यह अधिकार बंदी को निरोध के अधिकार को किसी विदेशी भाषा में देकर विफल हो जाता हैं। इसलिए इस मामले में हम यह मानने को बाध्य है कि बंदी को निरोध का आधार उसकी अपनी भाषा में बताने की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया गया था" ।*
>
> (जोर दिया गया)

10.5 **मंत्रालय की ओर से एक अन्य दलील यह थी कि** क्योंकि हरमीत सिंह अंग्रेजी में कुछ वाक्य लिख सकते थे और अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर सकते थे, इससे पता चलता है कि उन्हें उस भाषा में दिए गए निरोध के आधार को समझने के लायक उस भाषा का *पर्याप्त ज्ञान* है। इस पहलू पर **नैनमल प्रताप मल *शाह बनाम भारत का संघ और अन्य* *मामले में माननीय*** उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में विचार किया गया था, जहां माननीय उच्चतम न्यायालय की अवकाश पीठ में बैठे माननीय एकल न्यायाधीश का कहना था कि:

"2. इस *आरोप पर विवाद करते हुए भारत सरकार के अवर-सचिव ने कहा था कि बंदी बनाये गए व्यक्ति को निरोध का आधार जेल अधिकारियों द्वारा समझाया गया था। शपथ-पत्र में संबंधित प्राधिकारी का नाम या पदनाम का उल्लेख नहीं है, न ही उस व्यक्ति का कोई शपथ पत्र है जिसके द्वारा बंदी को निरोध के आधार को समझाया गया हो। इसके अतिरिक्त अवर-सचिव द्वारा बताया गया है कि बंदी ने कई दस्तावेजों पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किये थे तो यह माना जा सकता है कि वह अंग्रेजी में पूरी तरह निपुण था।* ***यह दलील पूर्ण रूप से इस अवधारणा पर आधारित है कि बंदी ने खुलकर कहा था कि वह अंग्रेजी भाषा नहीं जानता । किसी ठोस कारण के अभाव में उसके द्वारा कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये जाने मात्र को यह नहीं समझा जा सकता कि उसे अंग्रेजी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान था।*** *यह विवादस्पद नहीं है कि निरोध के आधार की अनुवादित प्रति बंदी को निरोध के आधार तामील करते हुए उपलब्ध (नहीं) कराई गई थी। निसंदेह ही इसे हदीबंधु दास बनाम जिला मजिस्ट्रेट [एआईआर 1969 एससी 43:(1969) 1 एससीआर 227:1969 फौ. एल जे 274] में इस न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण मांग माना गया था।* ***इसलिए ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 22(5) के प्रावधानों का खुला उल्लंघन हुआ है। जिससे कि निरोध का आदेश विफल होता है।*** *इसलिए याचिका को स्वीकार किया जाता है और बंदी के निरंतर निरोध को अवैध मानते हुए उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।"*

(जोर दिया गया)

10.6 ***डाकू देवी बनाम तमिल राज्य*** मामले में माननीय मद्रास उच्च

न्यायालय की **समन्वित पीठ द्वारा लिया गया मत हमारी** राय में उस **व्यक्ति के संबंध में सही परिप्रेक्ष्य है जिसे किसी भाषा का आधा अधूरा ही ज्ञान है और यह माना गया है कि:**

> "7. निरोध *के आधारों से ही यह स्पष्ट है कि बंदी अंग्रेजी में प्रवीण नहीं था। **वास्तव में, बंदी का बयान, जिसके आधार पर निरोध का आधार पारित किया गया था, हिंदी में था।** इस तरह के बयान से यह भी पता चलता है कि बंदी को अंग्रेजी लिखनी नहीं आती है। **बंदी ने याचिका में स्वयं यह कहा था कि वह यह बात नहीं जानता था कि जिन सभी दस्तावेजों को हिरासत में लेने वाले अधिकारियों ने आधार बनाया था, उसकी अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद की प्रति उसे उपलब्ध कराई जानी थी।**""
>
> * * * * *
>
> "13. *जैसा कि पहले ही इंगित किया गया है,* वर्तमान *मामले में, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री इंगित करती है कि बंदी अंग्रेजी में निपुण नहीं था। **भले ही कोई व्यक्ति अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर सकता हो या अंग्रेजी में कुछ शब्द लिख सकता हो, इसका यह मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति उस भाषा में निपुण है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भाषा में पढ़ने या लिखने की काबिल हो फिर भी ऐसा हो सकता है कि वह लिखित दस्तावेजों को ठीक से समझ पाए।** वर्तमान मामले में बंदी ने विशिष्ट रूप से अंग्रेजी दस्तावेजों का अनुवाद हिंदी में माँगा था। यह विवादास्पद नहीं है कि उन्हीं दस्तावेजों को हिरासत में लेने वाले अधिकारियों ने बंदी को निवारक निरोध में रखने के लिए आधार बनाया था। अधिकारियों ने बंदी के अनुरोध को इस आधार पर खारिज*

कर दिया कि वे दस्तावेज मानकीकृत रूप में थे।"

(जोर दिया गया)

10.7. **माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मानते हुए कि यदि बंदी ने कुछ दस्तावेजों पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए है तो यह मानना केवल आनुमानिक होगा कि उसको की अपेक्षा उस भाषा का** *व्यावहारिक ज्ञान* होगा, **जिसे बंदी समझता है अनुच्छेद** 22(5) **के अंतर्गत** *निरोध* ***के आधार को उस भाषा में उपलब्ध कराने की महत्ता पर*** निरंतर *जोर दिया है*

11. **जहां तक मंत्रालय द्वारा उठाए गए तर्कों का संबंध है, उनको केवल पूर्व न्यायिक निर्णय के उदाहरणों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए**, और इस पर संक्षेप में चर्चा नीचे **की गई है**ः

11.1 मंत्रालय ने **इस न्यायालय का ध्यान माननीय उच्चतम न्यायालय के** निर्णय *प्रकाश चंद्र मेहता* (पूर्वोक्त) मामले **की ओर आकर्षित किया है।** इस **मामले में**, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना था कि बंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने का नाटक कर रहा था *क्योंकि* बंदी के साथ **निरंतर उसके** बेटा और बेटी थे, जो अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह से जानते थे और *क्योंकि* बंदी ने क्षमा याचिका **अंग्रेजी में दायर की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने** माना कि:

"63. *पहले आधार से निपटना उचित होगा। क्या बंदी को*

*निरोध का आधार उस भाषा में सूचित किया जाना चाहिए था जिसे वह समझता है? संविधान के अनुसार उन आधारों को उसे सूचित किया जाना चाहिए। इसलिए यह **अनिवार्य है कि आधारों को संबंधित** व्यक्ति द्वारा उस भाषा में सूचित किया जाए **जो भाषा वह समझता है** ताकि वह एक प्रभावी याचिका बना सके। यहां याचिकाकर्ता के पिता का कहना है कि वह अंग्रेजी या हिंदी या मलयालम नहीं समझता है और केवल गुजराती भाषा समझता है। तथ्यों के अनुसार बंदी वेनीलाल हमेशा अपनी बेटी और बेटे के साथ था जिन दोनों को बहुत अच्छे से अंग्रेजी आती थी। उसके पिता ने एक अंग्रेजी में लिखा गए दस्तावेज पर गुजराती में हस्ताक्षर किए थे, जो कि उसकी क्षमा याचना है जिसमें कि उसने तस्करी में शामिल होने का अपराध पूर्ण रूप से माना है। अन्य बातों के साथ-साथ जून 30, 1984 के दस्तावेज़ में लिखा गया था कि "मैं स्वयं हैरान हूँ कि मैं आयात किए गए सोने कि तस्करी में शामिल कैसे हुआ"। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्षमा याचना की। कानून के अधीन ऐसा कोई नियम नहीं है कि अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर विचार करते हुए व्यावहारिक बुद्धि को नज़रअंदाज़ किया जाए, हालांकि इन संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ सख्ती से निकाला जाना चाहिए। इस हितकारी सिद्धांत एवं बंदी वेनीलाल मेहता के आचरण को उसकी क्षमा याचना एवं पत्राचार को ध्यान में रखते हुए बंदी वेनीलाल के द्वारा अंग्रेजी भाषा न जानने का नाटक करने वाले पहलू को सही दृष्टिकोण के साथ देखा जाना चाहिए। हालांकि, उसे 30 जून 1994 को उन आधारों का हिंदी अनुवाद दिया गया था जिसके बारे में अनभिज्ञता जताई थी। मलयालम भाषा में दिए गए*

अनुलग्नकों के सारांश को आधारों में दिया गया है । वह गुजराती भाषा के अलावा कुछ नहीं जानता यह वेनीलाल मेहता का एकमात्र कथन है और इसे अंतिम नहीं माना जाएगा एवं यह न्यायालय सच का पता लगाने की शक्तियों से वंचित नहीं है। वह यहाँ तक कह चुका है कि उसने क्षमा याचना की अन्तर्वस्तुओं को जाने और समझे बिना उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, क्योंकि वह उसकी पत्नी ने भेजा था और वह साठ साल एक व्यापारी था और हस्ताक्षर करते समय वह हिरासत में था, उसके कमरे की तलाशी से सोने की ईंटें बरामद हुई थी। न्यायालय वह जगह नहीं है जहां कोई भी बात मान ली जाए। निरोध करने वाले अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों आती थी। ऐसा प्रतिवादी की ओर से दिए गए शपथपत्र पर लिखा था। <u>हमारा यह मानना है कि बंदी वेनीलाल मेहता अंग्रेजी न आने का नाटक कर रहा था।</u> "

* * * * *

"65. यह *सिद्धांत भली भांति स्थापित है। लेकिन इस मामले में यह ध्यान में रखना होगा कि आधारों को 25 जून, 1984 में उसकी उपस्थिति में उसके होटल के कमरे से सोने के बिस्किट की तलाशी एवं उनके मिलने पर एवं उसकी क्षमा याचिका की पृष्ठभूमि में, जैसा कि हमारे द्वारा बताया गया है एवं वह निरन्तर अपने बेटी और बेटों के साथ संपर्क में था और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन लोगों को हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती थी। वास्तव में वे अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भी जानते थे। <u>इस बात को स्वीकार करना **मुश्किल है कि इस मामले के विशिष्ट** तथ्यों में, आधारों को वेनीलाल को हिरासत के आधार के रूप में सूचित नहीं किया गया था। **आधार सूचित किए गए थे या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।"**</u>*

(जोर दिया गया)

11.2 मंत्रालय ने *कुबिक दारुस्ज* (उपर्युक्त) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है, जहां हिरासत में लिया गया व्यक्ति पोलैंड का नागरिक था और उसने इस आधार पर उसे दिए गए हिरासत आदेश को चुनौती दी थी कि उसे अंग्रेजी नहीं आती हैः

> "9. जबकि *यह स्थापित कानून है कि निरोध के आदेश, निरोध के आधार और जिन दस्तावेजों का संदर्भ लिया गया है और आधार गया है उन्हें बंदी को उस भाषा में सूचित किया जाना चाहिए जिसे वह समझता है ताकि वह अपने निरोध के विरुद्ध प्रभावी याचिका कर सके, सवाल यह उठता है कि क्या न्यायालयों को बंदी द्वारा कही गई बातों को स्वीकार करना आवश्यक है या न्यायालय के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना अनुज्ञेय है ताकि न्यायालय जिस भाषा में निरोध का आधार की तामील हुई थी, उसमें बंदी के ज्ञान के बारे में समझ बना सके। विशेष रूप से उस मामले में जहां बंदी विदेशी है। यदि बंदी के कथन को हर परिस्थितियों में सही मान कर स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसे मामले में हिरासत में लेने वाले अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निरोध के आधारों को बंदी की मातृभाषा में प्रस्तुत करें, जिसमें किसी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन कुछ विलंब या कठिनाई हो सकती है। दूसरी ओर, यदि यह सुनिश्चित करना अनुज्ञेय है कि इस संबंध में बंदी का बयान सही था या नहीं, तो इसमें*

<u>व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होगा। बेशक, ऐसे मामलों में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अपनी भाषा में अनुवाद प्रदान करना</u> *हमेशा* ***<u>बेहतर रहेगा। हमारा विचार है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या बंदी भाषा न जानने का नाटक कर रहा है या उसे निरोध के आधार एवं दस्तावेज़ों में अंतर्निहित वस्तु समझने के लायक भाषा का व्यावहारिक ज्ञान है, न्यायालय को मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए।</u>"***

(जोर दिया गया)

<u>निष्कर्ष</u>

12. उपर्युक्त चर्चा से हिरासत में लेने वाले अधिकारी द्वारा निरोध के आधारों के बारे में किसी बंदी को सूचित करने के दायित्व के सन्दर्भ में कानूनी स्थिति को इस प्रकार समझा जा सकता हैः

i. अनुच्छेद 22(5) के तहत जिन आधारों के अंतर्गत बंदी को हिरासत में लिया गया है, **उन्हें उस बंदी को अति शीघ्र सूचित कराये जाने का मौलिक** अधिकार है; **और उसे जल्द से जल्द निरोध के आदेश के विरुद्ध याचिका** करने का अवसर दिया जाए;

ii. **इस मूल अधिकार की व्याप्ति और प्रवर्तन को समझते हुए**, माननीय उच्चतम न्यायालय ने

iii. नुच्छेद 22(5) के अंतर्गत 'सूचना' का अर्थ दिया है, **जिसका मतलब है कि जिन आधारों पर निरोध आदेश बनाया गया है, उसकी पर्याप्त जानकारी बंदी को प्रदान करना ताकि बंदी आदेश के विरुद्ध एक प्रभावी याचिका बना सके ।**

विशेष रूप से, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि निरोध के आधारों का मौखिक स्पष्टीकरण या मौखिक अनुवाद किसी बंदी को हिरासत में लेने के आधार के बारे में सूचित करने के बराबर नहीं माना जाएगा;

iv. जब तक निरोध के आधारों को केवल मौखिक रूप से समझाया जाता है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास लिखित में कुछ भी नहीं बचता है, अनुच्छेद 22(5) का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होता है;

v. निरोध के आधारों को प्रभावी एवं पूर्ण रूप से निरुद्ध व्यक्ति को सूचित करने का तात्पर्य है कि उसे आधार ऐसी भाषा में दिया जाना चाहिए जिसे निरुद्ध व्यक्ति समझता है; और यदि इसमें ऐसी भाषा में आधारों का अनुवाद करना शामिल है तो यह संवैधानिक अधिदेश का भाग है। वास्तव में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि निरोध के आधारों के लिए जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उन्हें बंदी को अवश्य ही उस भाषा में दिया जाना चाहिए, उस भाषा में अनुवादित करके जिसे वह समझता है और बंदी के लिए के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह आधार बनाए गए दस्तावेजों का अनुवादित संस्करण प्राप्त करने के लिए पक्षपात को साबित करे। जहाँ तक निरोध आदेश में केवल 'संदर्भित' दस्तावेजों का संबंध है, यदि बंदी उन दस्तावेजों या उनके अनुवादों की आपूर्ति न होने की शिकायत करता है, तो बंदी को ऐसी आपूर्ति के कारण एक प्रभावी याचिका बनाने में क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यह उसे अवश्य दिखाना चाहिए;

vi. पूर्णता के लिए, जहाँ बंदी निरक्षर है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 22(5) के अधिदेश की तामील तब मानी जायेगी जब उस भाषा में निरोध के आधार समझाए जाएँ, जिसे बंदी समझता है, जिससे कि उसे याचिका बनाने के मूल अधिकार उपलब्ध हो पाएं;

vii. केवल इसलिए कि कोई बंदी अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में हस्ताक्षर कर सकता है या कुछ शब्द लिख सकता है, इसका यह मतलब नहीं है कि बंदी उस भाषा में निपुण है, क्योंकि बंदी शायद निरोध के आधार में अंतर्विहित वस्तुओं या उनसे सम्बंधित दस्तावेज़ों को न समझ पाने के कारण निरोध के आदेश के विरुद्ध प्रभावी याचिका बनाने में असक्षम हो;

viii. चाहे बंदी दी गई भाषा में निपुण हो या सिर्फ भाषा न आने का नाटक कर रहा हो, या निरोध के आधार एवं उससे सम्बंधित दस्तावेज़ों में अंतर्विहित वस्तुओं को समझने में सक्षम हो, यह हर मामले के तथ्यों एवं परिस्तिथियों पर निर्भर करेगा, जिसे न्यायालय सुनिश्चित करेगा;

ix. जो भी भाषा बंदी समझता है, उसमें उसे निरोध के आधार एवं जिन दस्तावेज़ों को आधार बनाया गया है, उनका अनुवाद उपलब्ध कराना बेहतर रहेगा।

13. वर्तमान मामले के तथ्यों के सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम यह मानने के लिए सहमत हैं कि :

(i) केवल इसलिए कि हरमीत सिंह ने अंग्रेजी में कई दस्तावेजों पर

हस्ताक्षर किए थे और वह सम्बंधित अधिकारियों के कहने पर कुछ शब्दों को वाक्यों में जोड़ने में समर्थ था, इसको उसके अंग्रेजी भाषा का पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान होने का आधार नहीं माना जा सकता । हम यह भी कह सकते हैं कि अभिलेख से पता चलता है कि हरमीत सिंह दसवीं कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुका था और उसने आखिरी बार एक हिंदी माध्यम वाले स्कूल में पढ़ाई की थी, जिस पर मंत्रालय ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। हालांकि, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज किए गए उनके तीन बयानों में से 02 फरवरी, 2019 को पहला बयान अंग्रेजी में दर्ज किया गया था और 22 अप्रैल, 2019 और 31 जनवरी, 2020 को दो बयान हिंदी में दर्ज किए गए थे। विशेष रूप से, दिनांक 02.02.2019 के बयान में, निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी :

> *"मेरा यह बयान मेरे अपने अनुरोध पर कस्टम प्रिवेंटिव कमरे में उपलब्ध कंप्यूटर सिस्टम पर टाइप किया गया है और **मुझे** मेरे अनुरोध पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दिए गए **भाषांतरकार श्री वरुण कुमार द्वारा स्थानीय भाषा** में समझाया गया है, जो कि आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली में सीएसए के रूप में कार्यरत है। मेरा वक्तव्य तीन पृष्ठों का है। अधिकारियों का व्यवहार अच्छा था और मुझे या मेरे सामान/संपत्ति या मेरे धार्मिक विश्वास को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया था ।"*
>
> (जोर दिया गया)

इस टिप्पणी का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम, यह जरूरी था कि

अंग्रेजी में अभिलिखित इस कथन को किसी भाषांतरकार द्वारा बंदी को देसी भाषा में समझाया जाए, जो कि आवश्यक था, क्योंकि अंग्रेजी वह भाषा नहीं है जिसे हरमीत सिंह ठीक से समझता और दूसरा, टिप्पणी की रक्षात्मक शब्दावली से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह सीमा शुल्क अधिकारियों के आदेश एवं आग्रह पर दी गई थी।

(ii) हरमीत सिंह ने 24 जून, 2021 के अपने पत्र में विशेष रूप से अनुरोध किया था कि हिरासत के आधारों का अनुवाद उन्हें उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने लिखा था: "मैं आप लोगो से विनती करता हूँ कि मुझे ये सारे कागज जेल में दिलवाएं जाए हिन्दी या पंजाबी में दिए जाए।.." क्योंकि उसने कहा था कि वह उसकी अंग्रेजी प्रतियां समझने में असमर्थ है । इस तरह के स्पष्ट अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि हिरासत लेने वाले अधिकारी ने हरमीत सिंह को उस भाषा में दस्तावेज क्यों नहीं प्रदान किये जिसे वह समझता था; और इस दावे पर अड़े रहे कि हरमीत सिंह को अपने निवारक निरोध से बचाव करने योग्य पर्याप्त अंग्रेजी समझता है।

(iii) मंत्रालय की ओर से यह अंतिम दलील दी गई थी कि हरमीत सिंह ने कई बार विदेश यात्रा की है, जो इस बात का प्रमाण है कि वह पर्याप्त अंग्रेजी समझता है, यह बात सिरे से खारिज़ किये जाने योग्य है।

(iv) वास्तव में, हमारी राय में, निरोध करने वाले अधिकारियों के कानूनी

के हित में, **सभी मामलों में कार्रवाई का क्रम ये ही होना चाहिए कि बंदी** की मांग करने पर, **निरोध के आदेश के साथ साथ निरोध के आधार एवं सभी आधार बनाये गए दस्तावेजों की प्रतियों को जिस भाषा में बंदी चाहता है, उसमें उपलब्ध कराई जाए । बेहतर होगा कि ऐसे अनुरोध को हिरासत में लेने वाले अधिकारी बंदी से पहले लिखित में लें और शीघ्रता दिखाते हुए पावती लेने से पहले अनुवादित कागजात औपचारिक रूप से बंदी पर** तामील करें, ताकि वर्तमान परिस्थिति के समान अक्सर आने वाली ऐसी चुनौतियों का निवारण किया जा सके।

(v) हमारे विचार में, उपर्युक्त कार्रवाई से निरोध आदेश की सूचना को मजबूत आधार मिलेगा; और इससे अनावश्यक कानूनी चुनौतियों से बचा जा सकेगा।

14. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के बेटे, बंदी हरमीत सिंह पर उस भाषा में दिनांक 05.06.2020 के निरोध आदेश संख्या पीडी-12002/05/2020-सीओएफईपीओएसऐ की तामील *नहीं* की गई थी, जिसे वह समझता है। तदनुसार, आक्षेपित हिरासत आदेश संविधान के अनुच्छेद 22 (5) में निहित संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करता है, जिनकी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित विभिन्न निर्णयों में व्याख्या की गई है।

15. **निरोध आदेश संख्या पीडी-12002/05/2020-सीओएफईपीओएसऐ** दिनांक 05.06.2020 को तदनुसार खारिज़ किया जाता है ।

16. अंत में *याचिकाकर्ता* सुश्री जसविंदर कौर के पुत्र, बंदी **हरमीत सिंह को** *तत्काल* **निवारक हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है**, जब तक **कि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो।**

17. वर्तमान ***हैवियस कार्पस याचिका*** को स्वीकार कर **उपरोक्त निर्देशों के साथ उसका निपटान किया जाता है।**

18. **अन्य लंबित आवेदनों**, यदि कोई हो, **का भी निपटान किया** जाता है।

19. **इस निर्णय की एक प्रति निरोध** अधिकारी के साथ-**साथ जेल अधीक्षक**, केंद्रीय जेल, तिहाड़, **नई दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा भेजी जाए।**

20. **निर्णय की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से पक्षकारों की ओर** से उपस्थित फ़ाज़िल **अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराई जाए और इस न्यायालय की वेबसाइट पर भी तत्काल अपलोड की जाए।**

न्या.,सिद्धार्थ मृदुल

न्या.,अनूप जयराम भंभानी

18 फरवरी, 2022
डीएस/एनई

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*